>

Title: Need to remove tractor-trolly used in Agriculture from the commercial category list.

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया है।

किसान, जिन्हें हम अन्नदाता का दर्जा देते हैं, उनकी स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है। अभी हाल ही में इस वर्ष के बजट में किसानों के काम में आने वाले ट्रैक्टर को भी कृषि की श्रेणी से निकाल कर व्यावसायिक श्रेणी में डाल दिया गया, जिसके बाद साधारण बीमा कम्पनियों ने इस वर्ष से ट्रैक्टर बीमा प्रीमियम की राशि में सात गुना तक की वृद्धि कर दी है। पंजाब में पहले जो कप्रीहेंसिव इंश्योरेंस आठ हजार रुपए में होती थी, वह अब 22 हजार की हो रही है। राजस्थान में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1350 रुपए में होती थी, वह अब 11000 रुपए की हो रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में जरूर कदम उठाए और उस आर्डर को निरस्त करे और जो इंश्योरेंस डवलेपमेंट आथोरिटी है, उसे हिदायत दी जाए कि इसे कमर्शियल व्हीकल की केटिगिरी से निकाल कर कृषि पैकेज में डाला जाए। ताकि किसानों पर जो एक्सट्रा बर्डन आ रहा है, उससे मुक्ति मिल सके। इस तरह से उन पर एकदम से बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया है। कई साल पहले मेरे दादा सदन के सदस्य थे, उस समय उन्होंने ट्राली का टैक्स छुड़वाया था, इसे कृषि पैकेज में डलवाया था।

मुझे लगता है कि सारा सदन इस मुद्दे पर मेरे साथ है। मेरा निवेदन है कि इस पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इसे निरस्त किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please see the mood of the House and just consider.

कृÂि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा वह बहुत उचित है। मैं सदन की भावना से मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद। डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए विषय के साथ

श्री राज बब्बर,

श्री प्रताप सिंह बाजवा,

श्री मदन लाल शर्मा,

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा,

श्री सज्जन वर्मा,

श्री थोकचोम मेन्या,

श्रीमती दीपा दासमुंशी,

डॉ. प्रभा किशोर तावियाड,

श्री पी.एल. पुनिया और

श्री महेन्द्र सिंह चौहान को संबद्ध किया जाता है।